तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज **न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम0 3 अजमेर** **सेशन प्रकरण सख्या 06/2023** **सी.आई.एस. 82/2023** **सरकार बनाम अशोक बांता व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.11.2025	अपर लोक अभियोजक उपस्थित। मुलजिमान समस्त अनुपस्थित, जिनकी हाजरी माफी जरिये अधिवक्ता पेश हुई, जो आज पेशी हेतु स्वीकार की गयी। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 311 द.प्र.सं. पूर्व में सुनी जा चुकी है। जिसका इस आदेश द्वारा निस्तारण किया जा रहा है। दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण में सहवन से पूर्व में न्यायालय के समक्ष परिवादी के हुये बयानों में कुछ दस्तावेजात प्रदर्शित होने से रह गये है, जो प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु प्रदर्शित होना आवश्यक है तथा परिवादी उक्त दस्तावेजात पेश करना चाहता है। अतः उसे साक्ष्य हेतु पुनः तलब किया जावे। साथ ही अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये– 1. Varsha Garg vs The State of Madhya Pradesh 2022 SCC Online SC 986 2. Natasha Singh vs CBI (State) 2013 AIR SCW 3554 वहीं दौराने बहस अधिवक्ता मुलजिमान की ओर से उक्त तर्कों का विरोध करते हुये निवेदन किया गया कि प्रकरण में पूर्व में परिवादी के बयान लेखबद्ध हो चुके है तथा परिवादी स्वयं अधिवक्ता है। परिवादी के बयान कई अवसरों के पश्चात समाप्त हुये है। अब क्यों परिवादी को पुनः तलब करने हेतु निवेदन किया गया है, इसका कोई भी स्पष्ट कारण प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं है। केवल मात्र विचारण में देरी करने के आशय से उक्त निराधार प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे। मेरे द्वारा बहस के प्रकाश में पत्रावली एवं संबंधित विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में परिवादी महेन्द्र चौधरी पी.डब्ल्यू. 1 के मुख्य परीक्षण के बयान दिनांक 15.01.2024 को लेखबद्ध किये जा चुके है तथा उक्त गवाह के पश्चात 5 और गवाहान की साक्ष्य लेखबद्ध की जा चुकी है। अब प्रकरण में परिवादी को पुनः	

	साक्ष्य हेतु तलब करने व कुछ दस्तावेजात सहवन से पूर्व में पेश नहीं कर सकने व अब पेश कर प्रदर्शित करवाने के बाबत प्रार्थना पत्र व बहस के माध्यम से निवेदन किया गया है, लेकिन ना तो प्रार्थना पत्र व ना ही बहस में यह वर्णित किया गया है कि वे कौन से दस्तावेजात है, जिन्हें वे पेश करना चाहते है तथा वे दस्तावेजात रिकॉर्ड पर है अथवा नहीं, यह भी नहीं बताया गया है, ना ही यह बताया गया है कि वे प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु किस प्रकार सुसंगत हे। जहां तक धारा 311 द.प्र.सं. का प्रश्न है, धारा 311 द.प्र.सं. में प्रावधान है कि– Any Court **may**, at any stage of any inquiry, trial or other proceeding under this Code, summon any person as a witness, or examine any person in attendance, though not summoned as a witness, or recall and re-examine any person already examined; and the Court **shall** summon and examine or recall and re-examine any such person if his evidence appears to it to be essential to the just decision of the case. उक्त विधिक प्रावधान में प्रतिपादित सिद्धान्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विधिक प्रावधान किसी आवश्यक साक्षीं को समन करने अथवा उपस्थित साक्षीयों की परीक्षा करने हेतु न्यायालय को विस्तृत शक्तियां प्रदान करता है। साथ ही उल्लेखनीय है कि उक्त विधिक प्रावधान के 2 भाग जिसमें प्रथम भाग न्यायालय के विवेकाधीन है, वहीं द्वितीय भाग में यह आवश्यक बताया गया है कि यदि मामले के न्यायपूर्ण विनिश्चिय हेतु किसी व्यक्ति की साक्ष्य आवश्यक हो तो उसे साक्ष्य हेतु समन किया जावेगा व परीक्षा की जावेगी। वहीं जहां तक अपर लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का प्रश्न है, **Varsha Garg Vs State of Madhya Pradesh & Other** वाले प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 311 दं.प्र.सं. के दो हिस्से बताये है, जो माननीय न्यायालय के शब्दों में इस प्रकार है– 28. This power can be exercised at any stage of any inquiry. trial or other proceeding under the CrPC. The latter part of Section 311 states that the Court "shall" summon and examine or recall and re-examine any such person "if his evidence appears to the Court to be essential to the just decision of the case". Section 311 contains a power upon the Court in broad terms. The statutory provision must be read purposively, to achieve the intent of the statute to aid in the discovery of truth.	

	29. The first part of the statutory provision which uses the expression "may" postulates that the power can be exercised at any stage of an inquiry, trial or other proceeding. The latter part of the provision mandates the recall of a witness by the Court as it uses the expression "shall summon and examine or recall and re-examine any such person if his evidence appears to it to be essential to the just decision of the case". Essentiality of the evidence of the person who is to be examined coupled with the need for the just decision of the case constitute the touchstone which must guide the decision of the Court. The first part of the statutory provision is discretionary while the latter part is obligatory. वहीं जहां तक **Natasha Singh vs CBI (State)** वाले प्रकरण का प्रश्न है, उक्त प्रकरण में मुलजिम/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 311 द.प्र.सं. का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु यदि नवीन साक्ष्य भी पेश किया जाना हो तो धारा 311 द.प्र.सं. का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना चाहिए। जहां तक उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण का सम्बंध है, हस्तगत प्रकरण में परिवादी जिसकी कि पूर्व में साक्ष्य पी. डब्ल्यू. 1 के रूप में लेखबद्ध की जा चुकी है, को पुनः तलब करवाने बाबत निवेदन किया गया है तथा तलब करवाने का कारण सहवन से कुछ दस्तावेजात प्रदर्शित होने से रह जाना बताया गया है, लेकिन कौन से दस्तावेज प्रदर्शित होने से रह गये तथा वे किस प्रकार प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु रिकॉर्ड पर लेना आवश्यक है, ऐसा कोई कारण न्यायालय के समक्ष दर्शित नहीं किया गया है। यद्यपि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है तथा जैसाकि उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित किया गया है कि न्यायालय प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु प्रकरण के किसी स्तर पर, किसी भी साक्षी को तलब कर सकता है एवं पूर्व में हुये साक्षी को पुनः परीक्षण हेतु बुला सकता है, लेकिन यह भी उल्लेखनीय है कि यह दर्शित करना आवश्यक है कि किस प्रकार उक्त साक्षी की साक्ष्य प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु आवश्यक है। जैसाकि पूर्व में विस्तृत रूप से विवेचित किया जा चुका है कि अपर लोक अभियोलक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के माध्यम से एवं बहस में किसी प्रकार यह स्थापित नहीं किया गया है कि कौन से दस्तावेजात प्रदर्शित होने से रह गये है तथा किस प्रकार उक्त दस्तावेजात	

	प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु प्रदर्शित होना आवश्यक है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में किसी प्रकार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से अपर लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 311 द.प्र.सं. अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली साक्ष्य अभियोजन हेतु नियत की जाती है। गवाहान को पूर्वादेशानुसार जरिये जमानती वारण्ट 2000 से तलब किया जावे। पत्रावली साक्ष्य अभियोजन में गवाह सं. 6, 7, 8, हेतु दिनांक 20.11.2025 तथा गवाह सं. 10, 11, 12 हेतु दिनांक 21.11.2025 को पेश हो। **(नीरज गुप्ता)** **अपर सेशन न्यायाधीश,** **क्रम–3 अजमेर**	